Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या
No. 15-1(146)/2013-Vig.

By Speed Post/Hand
Dated:26June, 2014

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To The Directors/Heads of all the National Labs/Instts.

Sub: Filing of FIR with the approval of Director - reg.

Sir/Madam,

It has come to notice that in an Institute of CSIR, First Information Report was filed with the Law enforcement agencies (Police), without the approval of the Director.

It is emphasised here that filing of FIR is not akin to filing any sundry report or information but is a serious business.

Since an FIR against any individual/official entails concomitant legal and other actions and brings in matters which are to be dealt with through Police Authorities and the Courts, the Director-General, CSIR has taken a view that henceforth whenever the authorities in CSIR Labs/ Instts find themselves in such a position that they feel that an FIR needs to be filed, the matter must be brought to the notice of Director for approval before FIR is filed.

This may brought to the notice of all concerned in your Lab/Instt. for their information, guidance and strict compliance.

Yours faithfully

(Sushma Singh)
Chief Vigilance Officer

Copy to:

1. Sr.COAs/COAs/AOs of all the Labs/Instts
2. Office of the Director General, CSIR
3. Office of the JS(Admn),CSIR
4. Financial Adviser, CSIR
5. All the Heads of Divisions/Sections of CSIR Hqrs
6. IT division for hosting of circular on CSIR website.

Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

स्पीड पोस्ट/दस्ती

संख्या
No. 15-1(146)/2013-विज़ी. दिनांक: 26जून, 2014

प्रेषक
From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: निदेशक के अनुमोदन से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के बारे में

महोदय/ महोदया,

ऐसा प्रकाश में आया है कि सीएसआईआर के एक संस्थान में निदेशक के अनुमोदन के बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट कानून लागू करने वाली एजेंसी (पुलिस) में दर्ज कराई गई है।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि एफआईआर दर्ज कराना कोई सामान्य रिपोर्ट अथवा सूचना को दर्ज कराने जैसा नहीं होता है बल्कि यह गंभीर मामला होता है।

चूंकि किसी व्यक्ति/कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने से सहवर्ती कानूनी और अन्य कार्रवाई अपरिहार्य हो जाती है तथा ऐसा मामला उत्पन्न हो जाता है जिसका निपटारा पुलिस प्राधिकारियों और न्यायालयों के द्वारा किया जाना होता है, इसलिए महानिदेशक, सीएसआईआर का मानना है कि अब से सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्राधिकारी जब भी ऐसा महसूस करें कि एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता है, तो ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज कराने से पहले निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

अनुरोध है कि इसे अपनी प्रयोगशाला/संस्थान में सभी सम्बन्धितों की सूचना, मार्गदर्शन और सख्ती से अनुपालन करने हेतु उनके ध्यान में लाएं।

भवदीया,

सु. सिंह

(सुषमा सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) सीएसआईआर का कार्यालय
4. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
5. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी प्रभागों/अनुभागों के प्रधान
6. आईटी प्रभाग – कृपया इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर होस्ट करें।